

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100813

दिनांक: 09/07/2026

लोक सूचना

श्री AMRISH SHARMA पुत्र श्री GHASI RAM जाति BRAHMAN निवासी 50 PANCHWATI NAGAR KESHOPURA TEHSIL-SANGANER GHASI BABA KI DHANI JAIPUR 302026

श्री RAJ KUMAR SHARMA पुत्र श्री GHASI RAM जाति BRAHMAN निवासी 50 PANCHWATI NAGAR KESHOPURA TEHSIL-SANGANER GHASI BABA KI DHANI JAIPUR 302026

श्रीमति HANSA पुत्री श्री RAM KARAN SHARMA जाति BRAHMAN निवासी 50 PANCHWATI NAGAR KESHOPURA TEHSIL-SANGANER GHASI BABA KI DHANI JAIPUR 302026

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) हंसा शर्मा पत्नि राजकुमार शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1147/426	0.0182	0.0182
2.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) राजकुमार शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1145/426	0.0182	0.0182
3.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) अमरीश शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1148/426	0.0182	0.0182
4.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) अमरीश शर्मा पुत्र घासी राम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण मकान संख्या 50 कॉलोनी पंचवटी नगर क्षेत्र / स्थान घासी बाबा की ढाणी केशोपुरा शहर जयपुर पिन कोड 302026 जिला JAIPUR राज्य	1151/1144	0.059	0.059

		RAJASTHAN खातेदार			
5.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) अमरीश शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1146/426	0.0182	0.0182
कुल					0.1318

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **09-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & JAGRUK TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

